



20/7/17 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्डोलेंस/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक को पेश हो।

3/10/17

9/10/17

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली 350 वकील प्रार्थी को अपाठित किया। नामील द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस नामील पर कानून के विधान के जो पत्र पत्रावली दिनांक 5/12/17 को पेश की है।

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी जिला जयपुर

5/11/17 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपरी वकील प्रार्थी को अपाठित की तलबी हेतु तलवाना नोटिस पेश करने हेतु कई बार निर्देश दिये गये। दिनांक 4-8-15 से लगातार तलबी में चली आ रही है। दिनांक 9-10-17 को अपाठित की तलबी हेतु Regd. No तलवाना नोटिस पेश करने हेतु हिदायत दी गई। बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद आदिनांक तब तलवाना नोटिस पेश नहीं किये हैं। इससे यह पुष्ट होता है कि प्रार्थी व वकील प्रार्थी जांच को अग्रसर करने में कोई इच्छु नहीं हैं। अतः प्रार्थी का जांच न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं करने से कारण अज्ञात कारणों से 9 नियम 5 सी सी सी स्वार्थि किया जाता है। पत्रावली फिलहाल बुका होकर नम्बर से कम हो। बाद तकरीबन जांच दारिदल दफ्तर हो।